

6^२
२५

वकील वादी उपस्थित नहीं।

वादी स्वयं भी उपस्थित नहीं। इनकी
अनुपस्थिति कारण कोर्ट काफ़ी भी पेश
नहीं हुआ। धारः वार आवाज लगाव
गई। अतः यह वाद-पक्ष अदम पेंरवी
अदम डाण्टी में खारिज किया जाता है।

प्रावली निर्णय में कुमार की पापस

नम्बर से कम हो तथा वरतीव व्यक्ति
होकर दारिद्र्य फलदा हो।

॥